



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) / (RAILWAY BOARD)



सं. 2024/TG-II/09/NR

नई दिल्ली, दिनांक: .10.2025

श्री राम सुरेश,
अध्यक्ष, कुली यूनियन,
नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पोर्टर्स,
उत्तर रेलवे चारबाग, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश-226004.

विषय: बैटरी चालित वाहन (बीओवी) का विनियमन, रेलवे नीतियों का उचित क्रियान्वयन, आजीविका सुरक्षा और अन्य मुद्दों सहित सहायकों (लाइसेंस प्राप्त पोर्टर / कुली) की मांगों / शिकायतों के संबंध में।

महोदय,

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड को संबोधित दिनांक 14.06.2024 के आपके अभ्यावेदन के संदर्भ में, सहायकों के सुझावों/शिकायतों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को एक विस्तृत नोट संलग्न करने का निदेश दिया गया है।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(अविनाश शर्मा)
संयुक्त निदेशक/यातायात वाणिज्य (सामान्य)-II
कृते कार्यकारी निदेशक/यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2024/TG-II/09/NR

नोट

क्र.सं.	उठाए गए मामले	टिप्पणी
1	<p>आधुनिक सुविधाओं के कारण आजीविका का नुकसान-</p> <ul style="list-style-type: none"> बैटरी चालित वाहनों (बीओवी) की तैनाती। एस्केलेटर/लिफ्ट की स्थापना। <p>बीओवी के उपयोग से संबंधित मांगें-</p> <ul style="list-style-type: none"> बीओवी पर सामान ले जाने की अनुमति न हो। बीओवी सेवाएं केवल दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और चिकित्सकीय रूप से अयोग्य यात्रियों के लिए ही सीमित हो। किसी भी समय प्रत्येक प्लेटफार्म पर केवल एक बीओवी तक बीओवी परिचालन को सीमित किया जाए। नियमों के उल्लंघन पर बीओवी चालकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। 	<p>भारतीय रेल यात्रियों की सहायता करने में सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करती है, विशेष रूप से व्यस्त स्टेशनों पर। बीओवी, ट्रॉली, एस्केलेटर जैसी आधुनिकीकरण पहलों का उद्देश्य विशेषकर दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और चिकित्सकीय रूप से अयोग्य यात्रियों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधाओं में सुधार लाना है।</p> <p>बीओवी तथा अन्य प्रणालियों का उपयोग सहायकों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि पूरक सेवाओं के रूप में किया जाता है।</p> <p>सभी क्षेत्रीय रेलों को बीओवी चालकों के योग्यता प्रमाणन के संबंध में "क्या करे और क्या न करे" ("Do's and Don'ts") की एक व्यापक सूची के साथ अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। ये दिशा-निर्देश विशेष रूप से प्रमुख परिचालनिक मुद्दों जैसे कि तेज गति, ओवरलोडिंग, केवल निर्दिष्ट स्थानों पर पार्किंग तथा प्लेटफार्म पर भीड़ के स्तर के आधार बीओवी की आवाजाही को प्रतिबंधित करना इत्यादि पर ध्यान दिलाते हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य बीओवी का सुरक्षित और अनुशासित संचालन सुनिश्चित करना तथा यात्रियों की सुचारु आवाजाही बनाए रखना है।</p>
2	<p>नियमित रोजगार की मांग-</p> <ul style="list-style-type: none"> 2008 के समान नियुक्ति हेतु भर्ती के लिए अनुरोध। 	<p>अभी ऐसा नियम नहीं है। रेलवे में भर्ती केवल RRB/RRC के माध्यम से ही होती है।</p>

सं. 2024/TG-II/09/NR

क्र.सं.	उठाए गए मामले	टिप्पणी
3.	सहायकों एवं उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाएं।	सहायकों और उनके परिवार के सदस्यों को रेलवे चिकित्सा नियमों में यथा परिभाषित रेलवे अस्पतालों/रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में, जहां सहायक वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के समान चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें अन्य रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों/रेलवे अस्पतालों में रेफर करना शामिल है, लेकिन रेलवे के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में रेफर करना शामिल नहीं है।
4.	सहायकों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता।	मंडल में किसी भी स्टेशन पर काम करने वाले सहायकों के बच्चों के लिए रेलवे और रेलवे कर्मचारी संगठनों/महिला समितियों द्वारा संचालित विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं।
5.	वर्दी का प्रावधान।	सहायकों को प्रति वर्ष तीन लाल शर्ट और एक ऊनी शर्ट प्रदान की जा रही हैं।
6.	मूलभूत सुविधाओं सहित विश्राम कक्ष का निर्माण- • जिसमें बिस्तर, आरओ पेयजल, एलईडी टीवी आदि सुविधाएं हों।	क्षेत्रीय रेलों के सभी स्टेशनों पर सहायकों के लिए पेयजल, बैरक बिस्तर आदि की व्यवस्था के साथ विश्राम कक्ष उपलब्ध कराने के अनुदेश पहले से ही मौजूद हैं, और 50 या उससे अधिक सहायकों की क्षमता वाले स्टेशनों पर टीवी और आरओ पेयजल के साथ विश्राम कक्ष उपलब्ध कराने के अनुदेश भी दिए गए हैं। साथ ही, क्षेत्रीय रेलों को सहायक विश्रामगृह के बाहर नोटिस बोर्ड पर सहायकों को उपलब्ध सुविधाओं को प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
